रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102020-222272
CG-DL-E-06102020-222272

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 502] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 5, 2020/आश्विन 13, 1942
No. 502] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 5, 2020/ASVINA 13, 1942

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 614(अ).—राष्ट्रपति, एतद्द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राजस्व विभाग(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) समूह "ख" पद भर्ती नियम, 1994 को जहां तक उनका संबंध निजी सचिव के पद से है , उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ -** (1) इन नियमों को गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, निजी सचिव भर्ती नियम, 2020 कहा जाएगा।

(2.) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अर्हताएं, आदि.**—पद पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निजी सचिव	5*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह “ख”, राजपत्रित अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स लेवल - 7 (44,900-1,42,400 रुपये)	चयन।	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मेट्रिक्स के लेवल-6 (35,400-1,12,400 रुपये) में आशुलिपिक ग्रेड-I में पाँच वर्षों की नियमित सेवा तथा दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया हो, जिसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वापक नियंत्रण ब्यूरो या स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा अनुमोदित अन्य संस्थान द्वारा तैयार किया जाएगा तथा प्रदान किया जाएगा। **टिप्पणी:** जिन कनिष्ठों ने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है और उनकी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है तो उनके वरिष्ठों की प्रोन्नति पर भी विचार	समूह ‘ख’ विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्न सम्मिलित होंगे: (1) उप महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - अध्यक्ष; (2) उप निदेशक (प्रशासन) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - सदस्य; (3) उप सचिव/ निदेशक (एस), गृह मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श अनिवार्य नहीं है।

किया जाएगा, बशर्ते कि वे ऐसी अर्हकारी या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो साल, जो भी कम हो, के लिए अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा से कम न हों, और जो अपने कनिष्ठों, जिन्होंने ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो, के साथ-साथ जो अगले उच्चतर स्तर पर प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। **प्रतिनियुक्ति:** केंद्र सरकार के अधीन आशुलिपिक पदधारित अधिकारी, - (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समदर्श पदधारित ; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के लेवल -6 (35,400- 1,12,400 रुपये) या समकक्ष लेवल में आशुलिपिक ग्रेड-I में पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो। **टिप्पणी 1:** फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति के सीधे क्रम में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति धारक प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी 2:** अन्य पूर्व संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। **टिप्पणी 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. I-12014/02/2018-एन.सी.बी.-II]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव